कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–299254
E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com, Website:- www.gmcvidisha.org

क्रमांक / 1214-15 / स्था. / अराज / अ.बि.वा.जी.एम.सी. / 23 विदिशा, दिनांक – 10 / 03 / 2023

// नियुक्ति आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल का ज्ञाप क्र. एफ 2 / 06 / 2018 / 1–55 भोपाल दिनांक 07 / 04 / 2018 (मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम–2018), मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 838 / स्था. / अराज / 2018 भोपाल दिनांक–03 / 10 / 2018 एवं कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 2387 / स्था / अराज / संचिशि / 2022 भोपाल,दिनांक–01 / 12 / 2022 एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश का पत्र क्र. 1301–15 / स्था / अराज / 2020 भोपाल,दिनांक–29 / 09 / 2020 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु जारी कार्यकालीन विज्ञप्ति क्रमांक 89 / स्था / अ.बि.वा.जी.एम.सी. / 2022–23 विदिशा / दिनांक–06 / 01 / 2023 के तहत प्राप्त आवेदनों की स्क्रुटनी उपरांत निम्नानुसार प्रत्याशी को मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम–2018 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नलिखित (नीचे दी गयी) शर्तों के अधीन अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

— ❀❀❀ —

अनारक्षित श्रेणी से चयनित उम्मीदवारों की सूची :–

क्रं.	अभ्यार्थी का नाम / पिता / पति का नाम	स्थाई पूर्ण पता
01	विशाखा सोनवानी / पिता– श्री विल्सन सोनवानी	65–बी, महाबली नगर, कोलार रोड, भोपाल–462042
02	नैना चौरसिया / पिता– श्री राजू चौरसिया	म.नं. 40, भारत टॉकीज, पटेल नगर कॉलोनी, भोपाल–462001
03	अर्चना परिहार / पिता– श्री रमेश परिहार	म.नं. 69 / 2, ग्राम– जैताधाना (खरी), पोस्ट–लीलाझर, आमला, बैतूल–460663
04	अंजू चौधरी / पति–श्री चेतन चौधरी	म.नं. 25,शंकरपुर, अम्बामाली, मोहरखेड़, छिन्दवाड़ा–480331
05	मनीषा चौहान / पिता– श्री रमेश चौहान	म.नं. 93, शांति नगर, करोंद, भोपाल– 462038
06	नीता सिंह / पिता–श्री लक्ष्मण सिंह	वार्ड नं.10, हनुमान मंदिर, डुगारिया, जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा–480553
07	मोनिका मालवीय / पिता– श्री जगदीश मालवीय	म.नं. 05, गोया कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल–462001
08	कविता भलावी / पिता– श्री शम्भू भलावी	शोभापुर कॉलोनी, सारनी, तह.– धोराडोंगरी, बैतूल–460447
09	आरती जाटव / पिता– श्री दयाराम जाटव	बी–ब्लॉक 26,सुपर स्टेट कॉलोनी, बायपास रोड, करोंद, भोपाल–38
10	वर्षा महाजन / पिता–श्री उत्तम महाजन	म.नं. 49 भवानी धाम, फेस–2 अयोध्या नगर,वायपास रोड, भोपाल–462041
11	प्रीति सिंह / पिता–श्री सुरेन्द्र सिंह	मोर्डन चिल्ड्रन स्कूल के पीछे, सोनी कॉलोनी, गुना–473001

Dean
Atal Bihari ...
Govt. Medical ...

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–299254
E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com, Website:- www.gmcvidisha.org

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से चयनित उम्मीदवारों की सूची :–

क्रं.	अभ्यार्थी का नाम/पिता/पति का नाम	स्थाई पूर्ण पता
1	अमिता प्रजापति/ पिता–श्री लक्ष्मण प्रजापति	वार्ड नं. 26,जैन कॉलेज के पीछे, गली नं. 03, हरीपुरा,विदिशा–464001
2	नीतू विश्वकर्मा/पिता– श्री मोहर सिंह विश्वकर्मा	बी.1/25, गीता नगर, विदिशा रोड, भानपुर, भोपाल –462038
3	अर्चना जोशी/पिता–श्री महेश चन्द्र जोशी	ग्राम–रामनगर, गधाई, पोस्ट–करही, शिवपुरी–473662
4	नम्रता सेन/ पिता–श्री संजय सेन	म.नं. 56, एस.टी.नूल कोच फैक्ट्री रोड, द्वारका नगर, हुजूर, भोपाल–462001

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित सेवा शर्तों के अधीन होंगी :–

1. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के चिकित्सकीय आदर्श सेवा भर्ती नियम–2018 के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी, तथा म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) एवं म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
2. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने की दिनांक से **15 दिवस** के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
3. म.प्र. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र.एफ–9/3/2005/नियम/चार, दिनांक 02.04.05 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र.एफ–5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
4. नियुक्त व्यक्ति को 500/– रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है, यदि उक्त प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।
5. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
6. नर्सिंग ऑफिसर (स्टाफ नर्स) की नियुक्ति कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के पत्र क्र. 2387/स्था/अराज/संचिशि/2022 भोपाल,दिनांक–01/12/2022 के बिन्दु क्र. 3 **(i)** एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश का पत्र क्र. 1301–15/स्था/अराज/2020 भोपाल,दिनांक–29/09/2020 के द्वारा शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय की उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाये जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/– प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात स्टाफ नर्सो कि परीक्षा ली जावेगी एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त किया जावेगा।
7. नियमित स्थापना पश्चात आपकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन सामान्य विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12/12/2019 में दिये गये निर्देश के बिन्दु क्रमांक "ब" एवं अन्य निर्देशानुसार 03 वर्ष की परिविक्षा अवधि पर होगी। स्टाफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाऐं देने हेतु अनुबंध सह–प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा (रू–500/– के स्टाम्प पर)। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूली योग्य होगी।

Dean

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–299254
E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com, Website:- www.gmcvidisha.org

8. नियुक्त कर्मचारी की सेवाऐं संस्था द्वारा एक माह का नोटिस देकर या एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर कभी भी समाप्त की जा सकती हैं, इसी प्रकार नियुक्त कर्मचारी भी तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत नियुक्त कर्मचारी स्वेच्छा से एक माह का नोटिस या बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते जमा करके सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रहेगी।
10. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाएँ अन्य संस्थाओं को स्थानान्तरित नहीं होंगी।
11. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण–पत्र, उपाधियाँ एवं अन्य प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ जमा करना होगी तथा मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना होंगी।
12. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
13. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आपको पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
14. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वंय के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना अनिवार्य होगा एवं स्वास्थ्य परिक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही सेवा निरंतर रहेगी। यदि चिकित्सकीय आधार पर अनुपयुक्त पाया जाता है तो सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी।
15. आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता क्रमानुसार ही रहेगी। आपकी वरिष्ठता 03 माह के पश्चात ली जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण मेरीट के आधार पर रहेगी।
16. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
17. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
18. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 06 (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चे से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जायेगा।
19. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए आप किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिए सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
20. मादक एवं पेय उत्तेजक पदार्थ का सेवन न कर सकेंगे। यदि इस प्रकार के सेवन करते हुए पाये गये तो म.प्र. सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही कर सेवा से पदच्युत कर दिया जावेगा।
21. सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
22. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते हैं। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
23. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद् प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबधित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्र एक सेवा पुस्तिका तथा रू.3/– का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
24. साथ ही साथ आपकी नियुक्ति विज्ञप्ति क्रमांक 89/स्था/अ.बि.वा.जी.एम.सी./2022–23 विदिशा/दिनांक– 06/01/2023 में उल्लेखित सेवा शर्तों पर भी होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा,
महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)

Dean
Atal Bihari Vajpayee
... College ... Vidisha

कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)
खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष–07592–299254
E-Mail:- deangmcvidisha@gmail.com, Website:- www.gmcvidisha.org

क्रमांक/1214-15/स्था./अराज/अ.बि.वा.जी.एम.सी./23 विदिशा, दिनांक – 10 /03/2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालयं वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त/संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म0 प्र0 भोपाल।
3. संभागायुक्त, भोपाल–संभाग–भोपाल।
4. चिकित्सा अधीक्षक, अ.बि.वा.जी.एम.सी. संबद्ध चिकित्सालय, विदिशा।
5. नर्सिंग अधीक्षक, अ.बि.वा.जी.एम.सी. संबद्ध चिकित्सालय, विदिशा।
6. लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय अ.बि.वा.जी.एम.सी. विदिशा की ओर भेज कर लेख है कि ऊपर तालिका में दर्शाये नियुक्त नर्सिंग ऑफिसर की उपस्थिति दिनांक से प्रथमतः 03 माह के लिये निश्चित परिश्रमिक रू–10,000/– (अंकों में– रूप्ये दस हजार मात्र) प्रतिमाह पर देय होंगे, 03 माह प्श्चात नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को नियमित स्थापना के पदों में नियुक्त होने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन सामान्य विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12/12/2019 में दिये गये निर्देश के बिन्दु क्रमांक "ब" एवं अन्य निर्देशानुसार वेतन आहरण की प्रक्रिया अपनाई जावे।
7. सर्व संबंधित ....नर्सिंग ऑफिसर) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. कार्यालय आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ति।

मुख्य कार्यापालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा,
महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)

Dean
Atal Bihari Vajpayee
Govt. Medical College, Vidisha